न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2021-14Ju2021-02 Vishnaram Narayanram etc

विशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम लूणावास चारणान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. नारायणराम पुत्र तुलछाराम
02. दीपाराम पुत्र तुलछाराम
03. चैनाराम तुलछाराम
04. भंवरी पुत्री तुलछाराम
05. कुसुम पुत्री तुलछाराम
06. केलकी पत्नि तुलछाराम
07. सुकनाराम पुत्र गिरधारीराम
08. ओमाराम पुत्र गिरधारीराम

प्रत्यर्थी संख्या एक से आठ, जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
10. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जरिये सचिव।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 29 दिसंबर 2020 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 63/2020 नाराणराम व अन्य बनाम सुकनाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या नौ
श्री कमलेश राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दस
रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 63/2020 नारायणराम व अन्य बनाम सुकनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 07 जनवरी 2021 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक से छः द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम हीरखेड़ा पटवार हल्का नन्दवान, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 123 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या एक से छः व प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 की आई हुई हैं। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के बाबत वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या एक से छः व प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या सात व आठ के मध्य आज दिनांक तक किसी प्रकार का लिखित बंटवाड़ा निष्पादित किया हुआ नही है व वादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या एक से छः व प्रतिवादी /प्रत्यर्थी संख्या सात व आठ अन्दाज से मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार अपने-अपने हिस्से पर मालिक व स्वामी है तथा काश्त कर रहे है, साथ ही उक्त कृषि भूमि की तरमीम भी आज दिनांक तक नहीं हो पायी तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी समझौते से विभाजन करवाकर नक्शें में तरमीम करवा लने को कहा तो प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नही हुए, इस कारण वादीगण को यह दावा बंटवाड़ा व स्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ा, साथ ही वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि में **प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा अपने हक हिस्से की 6 बीघा भूमि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान की गई,** जिसका बेचाननामा उप पंजीयक लूणी के यहां पंजीबद्धसुदा है, जो उक्त बेचाननामा अपीलार्थी ने हल्का पटवारी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु दिया, परन्तु प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या एक से 8 द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया और वादीगण ने जानबुझकर अपीलार्थी से बाले-बाले वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, ताकि अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सके। अपीलांट द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.01.2021 को प्रार्थना पत्र भी पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 29.12.2020 को वादीगण की एकतरफा बहस सुनकर वादग्रस्त भूमि ग्राम हीरखेड़ा पटवार हल्का नन्दवान, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 123 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा के बेचान-हस्तांतरण नहीं करने एवं विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक कायम रखी जाने के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के साथ गैर कानूनी एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक व दो जो इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या एक से आठ है जो एक ही परिवार के है, जिन्होनें जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अपीलार्थी द्वारा ओमाराम से जमीन खरीद के पश्चात पेश किया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी ओमाराम को प्रतिफल अदा कर जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद की गई। अतः अपीलार्थी एक सद्भाविक क्रेता है जो म्यूटेशन भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलार्थी के नाम म्यूटेशन भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने से अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के जरिये अपनी जमीन का बंटवाड़ा करवाना चाहता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद की गई जमीन का विक्रय विलेख के आधार पर अपीलार्थी का नाम म्यूटेशन भरे जाने का आदेश फरमाया जाना न्यायोचित होगा। प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी सीधा प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे प्रत्यर्थीगण की मंशा साफ है कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को अपनी खरीदसुदा भूमि से महरूम करना चाहते है। न्यायालय हाजा के अंतरिम आदेश दिनांक 07.01.2021 के जरिये नामांतरकरण संख्या 658 दिनांक 22.01.2021 भरा जाकर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत पर अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट सद्भाविक क्रेता है, इसलिए प्रार्थी उक्त वाद से सीधा प्रभावित प्रक्षकार है, इसलिए प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन आदेश 29 दिसंबर 2020 को अपास्त किया जाकर अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलांट द्वारा दावा दायर होने से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.12.2020 के जरिये विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 123 रकबा 45.13 बीघा में सें प्रत्यर्थी ओमाराम के हक हिस्से की 6 बीघा की खरीद की थी। अपीलांट सद्भाविक क्रेता एवं आवश्यक प्रभावित पक्षकार है, इसलिए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2021 के आदेश के जरिये अपीलांट को क्रयसुदा भूमि का नामांतरकरण भरवाकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अमल दरामद करवाने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2020 को स्थगित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की पालना में **नामांतरकरण संख्या 658 दिनांक 22.01.2021 के जरिये अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया।** चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है तथा अपीलांट द्वारा अपील में चाहा गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वांछित अनुतोष उसे प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2020 को अपास्त किया जाकर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/IX/21

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर